

EV137145346M
15-12-14

उत्तर प्रदेश शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-3
(घोषणा प्रकोष्ठ)
संख्या-568/घोषणा/A.Y.-35/2014
लखनऊ: दिनांक-11 दिसम्बर, 2014

कलेक्टर

दरगाह

राज्य शासन ई.ए.राज. के.0
15/12/14 शासन सी.एम.राज.
00/LB/15/12/14

प्रमुख सचिव/सचिव,
ऊर्जा विभाग

R
17/12/14

जिलाधिकारी
वाराणसी
15/12/14

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 08/12/2014 को जनपद लखनऊ में निम्न घोषणा/घोषणाओं की गई हैं:-

क्रमांक	घोषणा संख्या	घोषणा का विवरण
1	A.Y.-35/2014 (क.स.- GH110000850)	विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की सुविधा के लिए प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों पर 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक अवस्थापना का विकास किया जायेगा और अप्रैल, 2015 से इन क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। उक्त सुविधा संबंधित जनपद के निम्नलिखित क्षेत्र विशेष के लिये ही होगी :- (1) जनपद बिजनौर में दरगाह नजीबाबाद परिसर। (2) जनपद मेरठ में हस्तिनापुर में जैन मन्दिर परिसर। (3) जनपद मेरठ में पंच प्यारा गाँव स्थित परिसर। (4) जनपद बाराबंकी में देवा शरीफ दरगाह परिसर। (5) जनपद श्रावस्ती में बौद्ध स्तूप परिसर। (6) जनपद मथुरा में श्री कृष्ण जन्म भूमि परिसर। (7) जनपद मथुरा में वृन्दावन स्थित बाँके बिहारी मंदिर परिसर। (8) जनपद वाराणसी में बौद्ध स्तूप परिसर। (9) जनपद अम्बेडकर नगर में दरगाह किछौछा परिसर।

अनुरोध है कि कृपया आप उपर्युक्त घोषणा/ घोषणाओं के क्रियान्वयन के सम्बंध में नियमानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा प्रकोष्ठ को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

(अनीता सिंह)

प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री

संख्या-568 (1)/ घोषणा/ A.Y.-35/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वित्त/ नियोजन विभाग।

2- आयुक्त, मुरादाबाद/मेरठ/फैजाबाद/देवी पाटन/आगरा/वाराणसी/लखनऊ मण्डल।

3- जिलाधिकारी, बिजनौर/मेरठ/बाराबंकी/श्रावस्ती/मथुरा/वाराणसी/अम्बेडकर नगर/लखनऊ।

(जिन्नूरन अहमद खां)

संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री